

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 36/2021-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2021

सा.का.नि.....(अ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, संख्यांक सा.का.नि. 132(अ), तारीख 23 फरवरी, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 03/2021-केन्द्रीय कर, तारीख 23 फरवरी, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैराग्राफ में, "उक्त अधिनियम की धारा 25 की" शब्दों के पश्चात "उपधारा (6क) या" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/26/2021-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 03/2021-केन्द्रीय कर, तारीख 23 फरवरी, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, संख्यांक सा.का.नि. 132(अ), तारीख 23 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गयी थी।